



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012026-269627
CG-DL-E-28012026-269627

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63]
No. 63]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2026/माघ 8, 1947
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2026/MAGHA 8, 1947

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 64(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 11 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में,-

- भाग क की मद 1 में, "कोयला" शब्द के स्थान पर "कोयला, जिसके अंतर्गत कोककारी कोयला भी है" शब्द रखे जाएंगे; और
- भाग घ में, मद 3 उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-
"3 क. कोककारी कोयला।"

[फा. सं. सीसीटी-12/1/2025-सीसीटी]

सनोज कुमार झा, अपर सचिव

टिप्पणः- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची को पूर्व में संसद के अधिनियमों के द्वारा संशोधित किया गया था। तथापि, वर्ष 2015 के अधिनियम संख्यांक 10 में संशोधन के आधार पर, नई धारा 11 ग का अंतःस्थापन केंद्रीय सरकार को पहली अनुसूची में संशोधन करने के लिए सशक्त करता है।

**MINISTRY OF COAL
NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th January, 2026

G.S.R. 64(E).—In exercise of the powers conferred by section 11C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely:-

In The First Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957,-

- (i) in PART A, in item 1, for the word "Coal", the words "Coal, including Coking Coal" shall be substituted; and
(ii) in PART D, after item 3 and the entry relating thereto, the following item shall be inserted, namely:-
"3A. Coking Coal."

[F. No. CCT-12/1/2025/CCT]

SANOJ KUMAR JHA, Addl. Secy.

Note - The First Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 was earlier amended by Acts of Parliament. However, by virtue of amending Act 10 of 2015, the insertion of new section 11C empowers the Central Government to amend the First Schedule.